

on 6.1.2021 Wa



हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्वनाम-दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.) - 491001

ईमेल: academic@durguniversity.ac.in वेब साइट: www.durguniversity.ac.in

दूरभाष: 0788-2359400


क्र. 3270/अका./वार्षिक संबद्धता/19/2021

दुर्ग, दिनांक : 05/01/2021

||आदेश||

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.12.2020 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् में अनुमोदन की प्रत्याशा में तदनुसार निम्नलिखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन वार्षिक संबद्धता सत्र 2020-21 के लिए प्रदान की जाती है:-

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या
01.	भिलाई महिला महाविद्यालय, हॉस्पिटल सेक्टर, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	Permanent Affiliation B.Sc.- Foundation Course (Hindi, English), Physics, Chemistry, Mathematics, Zoology, Botany, Computer Science B.H.Sc. Non Permanent Affiliation B.Sc.- Electronics (30), Industrial Microbiology (40), Biotechnology (30), Microbiology (30) B.Com.- Including Computer Application B.Ed. BCA M.Sc.- Chemistry M.Sc.- Zoology M.Sc.- Botany M.Sc.- Mathematics M.Sc.- Microbiology M.Sc.- Bioscience M.Sc.- Physics M.Sc.- Computer Science M.Sc.- Biotechnology M.H.Sc.- Child Dev. Text & Cloting M.Com PGDCA B. A.- I HomeScience, Hindi Literature, Economics, Psychology, English literature	450 30 200 100 30 20 20 20 20 20 12 10 15 12 20 40 30 60




निर्देश :

- छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्ग दर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
- शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को यू.जी.सी./छ.ग. शासन द्वारा स्वीकृत वेतनमान (समस्त भत्तों सहित) देना होगा।
- शासन के आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
- समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
- न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति पाठ्यक्रम आरम्भ करने के साथ ही करनी होगी।
- महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में आवश्यक परिवर्तन करते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता को सुदृढ़ करेंगे।
- तत्काल विषयों से संबंधित पुस्तकें क्रय करेंगे।

क्रमश.....

9. NCTE द्वारा मान्यता प्रदान करने हेतु वर्णित समस्त शर्तों को पूर्ण कर लें एवं तत्संबंधित सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करें अन्यथा की स्थिति में शर्तें पूरी न करने वाले महाविद्यालयों अथवा शर्तें पूर्णता संबंधी प्रमाणों के प्राप्त न होने पर ऐसे महाविद्यालयों के नाम, मान्यता निरस्त करने हेतु NCTE को भेजे जायेंगे।
10. महाविद्यालय को दी गई उक्त संबद्धता NCTE से प्राप्त नयीन मान्यता एवं यदि न्यायालयीन प्रकरण के अंतर्गत शामिल किए गए हैं तो माननीय उच्च न्यायालय से निर्णय के अधीन होगा।
11. उपरोक्त संबद्धता आदेश में किरसी प्रकार के आवश्यक संशोधन यथा विषय/कक्षा/सीट संख्या आदि होने पर प्रमाण सहित विश्वविद्यालय को 10 दिवस के अंतर्गत अनिवार्यतः अवगत करायें।

उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों/कक्षा की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।


कुलसचिव

हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक : 05/01/2021

पृ.क्र. 3271/अका./वार्षिक संबद्धता/19/2021

प्रतिलिपि:

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
2. कुलपति के निज सहायक/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
3. परीक्षा विभाग, हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।


सहा.कुलसचिव (अका.)

हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)



हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम - दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in वेब साइट : www.durguniversity.ac.in दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 1126 / अका. / वार्षिक संबद्धता / 077 / 2019

दुर्ग, दिनांक : 04 / 05 / 2019

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.04.2019 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् में अनुमोदन की प्रत्याशा में तदनुसार निम्नलिखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन वार्षिक सम्बद्धता सत्र 2018-19 के लिए प्रदान की जाती है:-

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या
01.	भिलाई महिला महाविद्यालय, हॉस्पिटल सेक्टर, भिलाई नगर, जिला - दुर्ग (छ.ग.)	Permanent Affiliation B.Sc.- Foundation Course (Hindi, English), Physics, Chemistry, Mathematics, Zoology, Botany, Computer Science B.H.Sc. Non Permanent Affiliation B.Sc.- Electronics (30), Industrial Microbiology (40), Biotechnology (30), Microbiology (30) B.Com. Including Computer Application B.Ed. BCA M.Sc.- Chemistry M.Sc.- Zoology M.Sc.- Botany M.Sc.- Mathematics M.Sc.- Microbiology M.Sc.- Bioscience M.Sc.- Physics M.Sc.- Computer Science M.Sc.- Biotechnology M.H.Sc.- Child Dev.Text & Cloting M.Com PGDCA	450 30 - 200 100 30 20 20 20 20 20 20 12 10 15 12 20 40 30

निर्देश :

- छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
 - शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को यू.जी.सी./छ.ग.शासन द्वारा स्वीकृत वेतन मान (समस्त भत्तों सहित) देना होगा।
 - शासन के आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
 - प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
 - समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
 - न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति पाठ्यक्रम आरम्भ करने के साथ ही करनी होगी।
 - महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में आवश्यक परिवर्तन करते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता को सुदृढ़ करेंगे।
 - तत्काल विषयों से संबंधित पुस्तकें क्रय करेंगे।
 - उपरोक्त संबद्धता आदेश में किसी प्रकार के आवश्यक संशोधन यथा विषय/कक्षा/सीट संख्या आदि होने पर प्रमाण सहित विश्वविद्यालय को 10 दिवस के अंतर्गत अनिवार्यतः अवगत करायें।
- उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों/कक्षा की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

कुलसचिव

हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

in sake of inf. to
 R. Prof. 11.8.12
 Chairman
 दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
 (छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम नं. 16/2015 द्वारा स्थापित)
 रायपुर नाका, दुर्ग (छ.ग.) - 491001
 Email: academic@durguniversity.ac.in Website: www.durguniversity.ac.in Phone-0788-2359400

Return.
 11/08/17

क्र. 1008 / अका. / वार्षिक संबद्धता / 002 / 2017

दुर्ग, दिनांक : 10/08/17

let me have a
 comparative statement of
 at available last year
 sanctioned

|| आदेश ||

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 15(a)(i) में उल्लेखित विशेषाधिकारों के तहत माननीय कुलपति महोदय जी की अध्यक्षता में प्राधिकार समिति की बैठक दिनांक 10/08/2017 में लिए गए निर्णयानुसार निम्नांकित महाविद्यालय को उनके सम्मुख दर्शित सत्र एवं कक्षा/विषय के लिए संबद्धता प्रदान की जाती है।

11/08/17

क्र.	महाविद्यालय का नाम	सत्र	कक्षा / विषय	सीट संख्या
1	मिलाई महिला महाविद्यालय, सेक्टर 9, मिलाईनगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) Email Id - bmahila@rediffmail.com Ph. No.- 0788-2242699	2017-18	Permanent Affiliation B.Sc.- Hindi, English, Physics, Chemistry, Maths Including additional subj. with non perma. affili. Computer Science and Electronics (30) B.Sc.- Hindi, English, Chemistry, Zoology, Botany Including additional subj. with non perma. affili. Industrial Microbiology (40), Biotechnology (30), Microbiology (30) B.H.Sc. Non Permanent Affiliation B.Com.- Including Computer Application B.Ed. BCA M.Sc.- Chemistry M.Sc.- Zoology M.Sc.- Botany M.Sc.- Mathematics M.Sc.- Microbiology M.Sc.- Bioscience M.Sc.- Physics M.Sc.- Computer Science M.Sc.- Biotechnology M.H.Sc.- Child Dev. Text & Cloting M.Com PGDCA	190 260 30 200 100 30 20 20 20 20 20 12 10 15 12 20 40 30

359
 11/08/17

निर्देश :


- छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
- शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को यू.जी.सी./छ.ग.शासन द्वारा स्वीकृत वेतन मान (समस्त भत्तों सहित) देना होगा।
- शासन के आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

} Imp.

क्रमशः.....

4. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
5. समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
6. न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति पाठ्यक्रम आरम्भ करने के साथ ही करनी होगी।
7. महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में आवश्यक परिवर्तन करते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता को सुदृढ़ करें।
8. तत्काल विषयों से संबंधित पुस्तकें क्रय करें।
उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों/कक्षा की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

आदेशानुसार


उप कुलसचिव (अका.)

दुर्ग, दिनांक : 10/08/17

क्र. 1009 / अका. / वार्षिक संबद्धता / 002 / 2017

प्रतिलिपी:

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)
2. माननीय कुलपति महोदय के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
3. परीक्षा नियंत्रक, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।

उप कुलसचिव (अका.)



दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्र. 16/2015 द्वारा स्थापित)

शासकीय वा.वा. पाटणकर, कन्या महाविद्यालय परिसर, रायपुर नाका, दुर्ग (छ.ग.) - 491001

Email: durguniversity@gmail.com Website: www.durguniversity.ac.in Phone & Fax 0788-2213300

क्र. 123/अका./संबद्धता वृद्धि-013/2016


दुर्ग, दिनांक : 6/10/16

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा (52) में उल्लेखित विशेषाधिकारों के तहत माननीय कुलपति महोदय जी की अध्यक्षता में प्राधिकार समिति की बैठक दिनांक 01/10/2016 में लिए गए निर्णयानुसार निम्नांकित महाविद्यालय को उनके सम्मुख दर्शित सत्र एवं कक्षा/विषय के लिए संबद्धता प्रदान की जाती है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	सत्र	कक्षा/विषय	सीट संख्या
1	भिलाई महिला महाविद्यालय, सेक्टर 9, भिलाईनगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) Email Id - bmahila@rediffmail.com Ph. No.- 0788-2242699	2016-17	Permanent Affiliation B.Sc.- Hindi, English, Physics, Chemistry, Maths Including additional subj. with non perma. affili. Computer Science and Electronics B.Sc.- Hindi, English, Chemistry, Zoology, Botany Including additional subj. with non perma. affili. Industrial—Microbiology, Biotechnology, Microbiology B.H.Sc. Non Permanent Affiliation B.Com.- Including Computer Application B.Ed. BCA M.Sc.- Chemistry M.Sc.- Zoology M.Sc.- Botany M.Sc.- Mathematics M.Sc.- Microbiology M.Sc.- Bioscience M.Sc.- Physics M.Sc.- Computer Science M.Sc.- Biotechnology M.H.Sc.- Child Dev.Text& Cloting M.Com PGDCA	160 160 30 160 100 30 20 20 20 20 20 12 10 15 12 20 30 30

705
13/10/16


उपकुलपति
दुर्ग विश्व विद्यालय - दुर्ग

PTO



HEMCHAND YADAV VISHWAVIDYALAYA, DURG (CG)

(A State Government University established under Chhattisgarh Act No. 16 of 2015)
Raipur Naka, Durg (C.G.) - 491001

Email: academic@durguniversity.ac.in Website: www.durguniversity.ac.in Phone 0788-2359400

Office to diary pl

31/10/21

4201/Academic/Annual Affiliation/49/2021

ORDER

Durg, Dated - 06/10/2021


As per the previous recommendation of the University Standing Committee and approval by the Executive Council, following college is granted annual affiliation for the year 2021-22 as shown in the class/subject after deposit of prescribed fee under the term and condition laid down in university statute 27 & 28.

College Name	Class/ Subject	Number of Seats	Affiliation (Permanent/Non-Permanent)
Bhilai Mahila Mahavidyalaya, Hospital Sector, Bhilai, Dist.- Durg (C.G.)	B.Sc.- Foundation Course (Hindi, English), Physics, Chemistry, Mathematics, Zoology, Botany, Computer Science	450	Permanent Affiliation
	B.Sc.- Biotechnology (30), Microbiology (30)		Permanent Affiliation
	B.H.Sc.	30	Permanent Affiliation
	B.Com.	168	Permanent Affiliation
	B.Com.- Including Computer Application	60	Permanent Affiliation
	M.Sc.- Chemistry	20	Permanent Affiliation
	M.Sc.- Zoology	20	Permanent Affiliation
	M.Sc.- Botany	20	Permanent Affiliation
	M.Sc.- Mathematics	20	Permanent Affiliation
	M.Sc.- Microbiology	20	Permanent Affiliation
	M.Sc.- Physics	10	Permanent Affiliation
	M.Sc.- Computer Science	15	Permanent Affiliation
	M.Sc.- Biotechnology	12	Permanent Affiliation
	M.H.Sc.- Human Development	20	Permanent Affiliation
	M.H.Sc.- Textile & Clothing	12	Permanent Affiliation
	M.Com.	40	Permanent Affiliation
	PGDCA	30	Permanent Affiliation
	B.Sc.- Electronics (30), Industrial Microbiology (40)		Non-Permanent Affiliation
	B.Ed.	100	Non-Permanent Affiliation
	BCA	30	Non-Permanent Affiliation
M.Sc.- Bioscience	12	Non-Permanent Affiliation	
B.A-I Home Science, Hindi Literature, Economics, Psychology, English Literature	60	Non-Permanent Affiliation	

Instructions -

1. College will follow recent admission guidelines issued by Department of Higher Education, Govt. of Chhattisgarh and will also give priority to students of Chhattisgarh State.
2. All teaching and non-teaching staff of the college will be given pay scale (Including all allowances) as recommended by UGC/CG Govt.
3. If the college doesn't follow the terms & conditions mentioned in the order of Govt. and any objection is laid at any point then action may be taken as per rules.
4. No donation should be collected from the students as per provision of the govt. rules.
5. College must have to follow the directions issued by affiliating university from time to time.
6. From the inception of any course, recruitment of minimum teaching staff is compulsory.
7. Books of the concerned subjects should be purchased instantly.
8. College should make all necessary arrangements to fulfill the condition mandatory for the affiliation from NCTE and give prior information to University also. Failing which the university will send their names to NCTE for cancellation of affiliation.
9. This affiliation letter will be based on the latest affiliation letter approved by NCTE and if any matter of the college is lying with court then the decision of Honorable High Court will be applicable.
10. If there is any modification regarding subjects/classes/seat no. in this affiliation letter, then colleges should compulsorily contact University within 10 days from the date of release of letter along with documentary proof.

Failing to fulfill the conditions as mentioned above, the affiliation in subjects/classes provided to college can be reverted from the upcoming session.



Registrar
Hemchand Yadav Vishwavidyalaya, Durg
कमरा: 02

P.T.O.



हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्वनाम-दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.) - 491001

ईमेल: academic@durguniversity.ac.in वेब साइट: www.durguniversity.ac.in

दूरभाष: 0788-2359400

क्र. 3270/अका./वार्षिक संबद्धता/19/2021

दुर्ग, दिनांक : 05/01/2021

||आदेश||

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.12.2020 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् में अनुमोदन की प्रत्याशा में तदनुसार निम्नलिखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन वार्षिक संबद्धता सत्र 2020-21 के लिए प्रदान की जाती है:-

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या
01.	भिलाई महिला महाविद्यालय, हॉस्पिटल सेक्टर, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	Permanent Affiliation B.Sc.- Foundation Course (Hindi, English), Physics, Chemistry, Mathematics, Zoology, Botany, Computer Science B.H.Sc. Non Permanent Affiliation B.Sc.- Electronics (30), Industrial Microbiology (40), Biotechnology (30), Microbiology (30) B.Com.- Including Computer Application B.Ed. BCA M.Sc.- Chemistry M.Sc.- Zoology M.Sc.- Botany M.Sc.- Mathematics M.Sc.- Microbiology M.Sc.- Bioscience M.Sc.- Physics M.Sc.- Computer Science M.Sc.- Biotechnology M.H.Sc.- Child Dev. Text & Cloting M.Com PGDCA B. A.- I HomeScience, Hindi Literature, Economics, Psychology, English literature	450 30 200 100 30 20 20 20 20 20 12 10 15 12 20 40 30 60



निर्देश :

- छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्ग दर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
- शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को यू.जी.सी./छ.ग. शासन द्वारा स्वीकृत वेतनमान (समस्त भत्तों सहित) देना होगा।
- शासन के आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
- समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
- न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति पाठ्यक्रम आरम्भ करने के साथ ही करनी होगी।
- महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में आवश्यक परिवर्तन करते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता को सृद्ध करेंगे।
- तत्काल विषयों से संबंधित पुस्तकें क्रय करेंगे।

क्रमशः.....

9. NCTE द्वारा मान्यता प्रदान करने हेतु वर्णित समस्त शर्तों को पूर्ण कर लें एवं तत्संबंधित सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करें अन्यथा की स्थिति में शर्तें पूरी न करने वाले महाविद्यालयों अथवा शर्तें पूर्णता संबंधी प्रमाणों के प्राप्त न होने पर ऐसे महाविद्यालयों के नाम, मान्यता निरस्त करने हेतु NCTE को भेजे जायेंगे।
10. महाविद्यालय को दी गई उक्त संबद्धता NCTE से प्राप्त नवीन मान्यता एवं यदि न्यायालयीन प्रकरण के अंतर्गत शामिल किए गए हैं तो माननीय उच्च न्यायालय से निर्णय के अधीन होगा।
11. उपरोक्त संबद्धता आदेश में किसी प्रकार के आवश्यक संशोधन यथा विषय/कक्षा/सीट संख्या आदि होने पर प्रमाण सहित विश्वविद्यालय को 10 दिवस के अंतर्गत अनिवार्यतः अवगत करावें।

उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों/कक्षा की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

कुलसचिव

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक : 05/01/2021

पृ.क्र. 3271/अका./वार्षिक संबद्धता/19/2021

प्रतिलिपि:

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
2. कुलपति के निज सहायक/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
3. परीक्षा विभाग, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।

सह.कुलसचिव (अका.)

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)



Downloaded on 10 06 16 010 (1)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, (छ. ग.)

क्रमांक 223 / अका. / सम्ब. वृद्धि / 2016

रायपुर दिनांक 05/01/2016

॥ आदेश ॥

Return 2/10/16

विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 11.12.2015 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 15.12.2015 में अनुमोदन प्रदान किया गया है, तदनुसार निम्नलिखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन सम्बद्धता सत्र 2015-16 के लिए बढ़ाई जाती है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय
1	भिलाई महिला महाविद्यालय, हॉस्पिटल सेक्टर-9, भिलाई, जिला- दुर्ग (छ.ग.) bmahila@rediffmail.com, hasan.zehra@rediffmail.com, Phone No.- 0788-2242699, Mobile No.- 98271-15066 8085747933	Permanent Affiliation B.Sc. - Hindi, English, Physics, Chemistry, Math's, Botany, Zoology, Computer Sc., B.H.Sc. Non-Permanent Affiliation B.Com. B.A. I - Hindi Litt., English Litt., Home Sc., Math's, Psychology, Economics. B.Com. - Computer Appl. (Addl. Subject.) B.Sc. - Indu Micro Bio., Biotechnology (30seat), Microbiology (30seat) B.Sc.I-Electronics (30) B.Ed.-(100seat) B.C.A. I - (30seat) M.Sc. - Chemistry, Zoology, Botany, Math's Micro Biology (20), Bioscience (12), Physics (10), Com.Sc (15) M.H.Sc. - Child-Dev., Text & Clothing. M.Com. - Dipl. in Computer Sc. PGDCA M.Sc. -Biotech. (12)

भिलाई महिला महाविद्यालय
B.N. 174
05/01/2016

आदर्शानुसार,

M. E. Chandel
उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक 224 / अका. / सम्ब. वृद्धि / 2016
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 05/01/2016

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लाक-सी, 30, द्वितीय तल, इन्द्रायती भवन, नया रायपुर।
 2. सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य को,
 3. सहायक कुलसचिव (परीक्षा) / उप कुलसचिव गोपनीय, नामांकन विभाग,
 4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


M. E. Chandel
प्राचार्य

M. E. Chandel
उप कुलसचिव (अका.)

भिलाई महिला महाविद्यालय
हॉस्पिटल सेक्टर, भिलाई नगर (छ.ग.)

अशासकीय संस्थानों के अधीन आने वाले
हिन्दी भवन इयावला इहत्त, भोपाल.

प्रमाण-पत्र



विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26 § १ के अंतर्गत.

प्राचार्य, भिलाई महिला महाविद्यालय, भिलाई.

द्वारा पत्र क्रमांक 601, 603, 604 दिनांक 4-6-99

द्वारा इस विभाग को
महाविद्यालय में सत्र-

वि.वि. अधिनियम 1973 की धारा 26 § १ के अंतर्गत

2000-2001 से नया अशासकीय महाविद्यालय में निम्नीलिखित अतिरिक्त
विषयों की कक्षाएं प्रारंभ किये जाने के लिए आवेदन-पत्र प्रेषित किया है.

विषय 1. डॉ. स. प्रथम- हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य,
गृहविज्ञान, गणित, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र.

सत्र 2000-2001

2. एम. स्त. सी. मूवादि- गणित, वनस्पति शास्त्र.

BA
Msc
M.A. Part

उक्त आवेदन पत्र निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन दिनांक 3-4-2000 पर
विचार करने के उपरांत यह विभाग संतुष्ट है कि वि.वि. की विद्युत परीक्षा के
प्रावधान 26 § १ के अंतर्गत वि.वि. अधिनियम 1973 के अंतर्गत पृथक कार्य परीक्षा के
वि.वि. अधिनियम के प्रावधान 24 § 2 के अंतर्गत एक वर्ष के लिए अस्थाई अनुमति
दी जाये कि यह संस्था के आवेदन पर विचार करें.

अतः यह विभाग यह प्रमाण पत्र प्राचार्य/अध्यक्ष, प्राप्ति निम्नलिखित सूची
समिति को प्रदान करता है. जिससे कि यह वि.वि. अधिनियम की धारा 26 § १
के प्रावधानों के अन्तर्गत इस प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन करें आवश्यक शर्तों
निम्नानुसार हैं.

1. सत्र 2000-2001 प्रवेश प्रारंभ करने के पूर्व वैशेषिक टॉक की
पूरी व्यवस्था हो.

2. प्रयोगशाला की संपूर्ण सुविधाएं प्रवेश प्रारंभ करने के पूर्व की जाये जिससे सत्र -
आरंभ होने पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हो.

§ 13- संस्था वित्तीय संसाधनों की जानकारी इस कार्यालय को 1 माह में उपलब्ध
करायें तथा इससे आवश्यक प्रमाणित दस्तावेज इस कार्यालय को उपलब्ध कराये तीन
वर्षों के अनुमानित बजट प्रस्ताव की जानकारी दें.

§ 12- संस्था निम्न शर्तों को पूर्ण करें ।

§ 11- डॉ. स. भाग-प्रथम हेतु सहायक-प्राध्यापकों को नियुक्ति निरंतर-2
को उपयुक्त 1. राशि रुपये 20,000/- (बोत हजारों) को
पुस्तकें क्रय करें ।

§ 10- एम. स्त. सी. मूवादि- गणित, विषय हेतु स. प्रा. को नियुक्ति
तत्काल करें ।

§ 9- एम. स्त. सी. मूवादि- वनस्पति शास्त्र हेतु दो अतिरिक्त स. प्रा. को नियुक्ति उपकरण पुस्तकों के
अतिरिक्त लगभग 10,000/- रुपये के उपकरण तथा 15,000/- रुपये को पुस्तकें क्रय करें ।



For sake of information to

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) M.L.

दूरभाष : 0771-2262112 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक : 4786/अका./सम्बद्धता/2006

रायपुर, दिनांक : 13/04/2006

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक दिनांक 25.03.2006 में लिए गए निर्णयानुसार निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके सम्मुख दर्शित सत्र एवं कक्षा/विषयों के लिए सशर्त अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	भिलाई महिला महाविद्यालय हॉस्पिटल सेक्टर, भिलाई जिला-दुर्ग (छ.ग.)	1. बी.एस-सी. भाग-एक बायोटेक्नालाजी 2. एम.एस-सी. अंतिम (भौतिकी) 3. एम.एस-सी. अंतिम (माइक्रोबायलाजी)	30 10 20	2005-2006

शर्तें :-

- विश्वविद्यालय परिनियम 28 के प्राधानांतर्गत उपरोक्त विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति हेतु पदों को नियमानुसार विज्ञापित कर नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया 3 माह के भीतर पूर्ण की जावे ।
- महाविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक/गैरशैक्षणिक कर्मचारियों को विश्वविद्यालय नियमानुसार वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से करें ।
- महाविद्यालय के प्रयोगशाला हेतु उपरोक्त पाठ्यक्रम से सम्बन्धित रु. 10.00 लाख (रु. 2 लाख के बायोटेक्नालाजी, रु. 5.00 लाख के भौतिकी एवं रु. 3.00 लाख की माइक्रोबायलाजी हेतु) की प्रायोगिक उपकरण एवं ग्रंथालय हेतु रु. 2.00 लाख की पुस्तकें कय की जावे ।
- उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 से 3 में वर्णित शर्तों की पूर्ति महाविद्यालय द्वारा 3 माह के भीतर किया जावे तथा शर्तों की प्रतिपूर्ति सम्बन्धी प्रमाण विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा महाविद्यालय में संचालित कक्षा/विषयों की आगामी सत्र हेतु सम्बद्धता वृद्धि नहीं की जावेगी ।
- बी.एस-सी. भाग-दो (बायोटेक्नालाजी) की सम्बद्धता हेतु प्रक्रिया एक माह के भीतर पूर्ण कर विश्वविद्यालय से अनिवार्य रूप से सम्बद्धता प्राप्त करें ।

आदेशानुसार,

[Signature]

उपकुलसचिव (अका.)

रायपुर, दिनांक : 13/04/2006

पृ. क्रमांक 4787/अका./सम्बद्धता/2006

प्रतिलिपि :-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, शास. विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर।
- सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य को ।
- संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
- संचालक, शारीरिक शिक्षा/ विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला
- उप कुलसचिव-गोपनीय/परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/वित्ताधिकारी,
- कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी राहायक,
- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
- श्री सुरेन्द्र यादव, कार्य सहायक (अका.), पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सम्बद्धता पंजी में उपरोक्तानुसार दर्ज करने हेतु ।

[Signature]

उपकुलसचिव (अका.)

[Signature]

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

Recd. on 27 July 2006 at
St. R. S. S. U.
Raipur

दूरभाष : 0771-2262112 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय) 27/07/06

कमांक 8620 / अका. / सम्ब. / 2006

रायपुर, दिनांक 26 / 07 / 2006

- Copy to
① Office - Necessary file.
② Mrs. Meme - For admission of students.


For favour of information to
① Mr. [Signature]
② Chairman [Signature]

प्रति,

27/07/06
प्राचार्य
भिलाई महिला महाविद्यालय
भिलाई (छ.ग.)

विषय : सत्र 2006-07 में कक्षा में छात्रों के प्रवेश की अनुमति ।

महोदय,



विश्वविद्यालय विद्या परिषद की स्थायी समिति की दिनांक 25.07.2006 को सम्पन्न बैठक के निर्णयानुसार कार्यपरिषद के द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में निम्नानुसार कक्षा/विषयों में निर्धारित तिथि तक प्रवेश की सशर्त अनुमति दी जाती है :-

कमांक	कक्षा / विषय	छात्रसंख्या	सत्र
1.	बी.एस-सी. भाग-एक माइकोबायलाजी अति.विषय	30	2006-07

शर्त :-

- Y. Imp. → 1. महाविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति वि.वि. परिनियम 28 के तहत की जावे।

निर्णयानुसार सूचित करना है कि महाविद्यालय 3 माह के भीतर उपरोक्त शर्त की पूर्ति अनिवार्य रूप से करके सूचित करें, ताकि पुनर्निरीक्षण पश्चात सम्बद्धता संबंधी आगामी कार्यवाही की जा सके ।

भवदीय
[Signature]

(विक्टर एक्का)
उपकुलसचिव (अका.)

पृ.कमांक 8621 / अका. / सम्ब. / 2006
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 26 / 07 / 2006

- कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर ।
- उपकुलसचिव (परीक्षा), पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर ।
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

[Signature]


उपकुलसचिव (अका.)

पंडित रावशंकर गुकल विश्वविद्यालय, रायपुर

क्रमांक/628/अका./सम्ब./99 आधुनिकता रायपुर, दि. 16 अगस्त 99

कुलपतिजी द्वारा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के धारा 15-4 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के तहत मिलार्ड महिला महाविद्यालय नगर जिला-दुर्ग को निरोक्षण समिति को अनुमति एवं अपेक्षित शर्तों को पूर्णतः प्रत्याशा में एम. एत. सो. पूर्व प्राणीशास्त्र एवं रसायन शास्त्र अक्षा/विषय को सत्र 1999-2000 से प्रारम्भ करने की अनुमति एवं दिनांक 30-06-2000 तक अत्यायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

कुलपतिजी के आदेशानुसार



कुलसचिव

क्र. सं. /628/अका./सम्ब./99

रायपुर, दिनांक 16 अगस्त 99.

प्रतिलिपि-


- 1/ प्राचार्य, मिलार्ड महिला महाविद्यालय मिलार्ड नगर जिला-दुर्ग
- 2/ आशुक्त उच्च शिक्षा मंत्रालय शासन अशासकीय : शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित शाखा, हिन्दो भवन स्वामला हिल्ट भोपाल.
- 3/ आंतरिक संचालक उच्च शिक्षा, रायपुर/बस्तर संभाग शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परितर रायपुर
- 4/ उपकुल सचिव- गोपनीय/परीक्षा/विकास/वित्त विभाग, पं. र. शु. वि. वि. रायपुर
- 5/ निर्देशक - महाविद्यालय विकास परिषद पं. र. शु. वि. वि. रायपुर
- 6/ कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. र. शु. वि. वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित।

Copy to

1. A. R

2. A. M

3. Pls Return



सहायक कुलसचिव अका. वि.

25/8/99


पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय-रायपुर

//अधिसूचना//

पं०/2316/अ.ग./सम्प०/2000 रायपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2000.

कुलपतिजी द्वारा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के धारा-15(4) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिभारों के तहत भिलाई महिला महाविद्यालय, भिलाई नगर, जिला-दुर्ग, मध्यप्रदेश के निरीक्षण समिति की अनुशंसा एवं शासन द्वारा अधिभारों की पूर्ति के लिए नीचे दक्षित तहसील/विभागों को क्र. 2000-2001 के प्रारंभ करने की अनुमति एवं दिनांक 30-06-2001 तक अस्थायी सम्पत्ता प्रदान की जाती है-

- 1/ पी०एच० भाग-ए-1 - हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, गृहविज्ञान, गणित, मनोविज्ञान, अध्यापन ।
- 2/ एम०एस्सी - गणित, वनस्पतिशास्त्र ।



आदेशानुसार,
 उपाध्यक्ष/कुलपति

पं०/2317/अ.ग./सम्प०/2000, रायपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2000.

प्रतिलिपि-

- 1/ प्राचार्य, भिलाई महिला महाविद्यालय, भिलाईनगर, जिला-दुर्ग, मध्यप्रदेश,
- 2/ आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, अशासित विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थाओं के संबंधित शाखाएं; हिन्दी भवन, श्यामला हिल्ट; भोपाल,
- 3/ अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रायपुर-वस्तर विभाग, शासकीय विद्यालय महाविद्यालय करिंतर, रायपुर, मध्यप्रदेश
- 4/ उप कुलसचिव- शोधनीय/परीक्षा/विभागात्मक/प्रदत्त विभाग, पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
- 5/ निदेशक, महाविद्यालयीन विभाग करिंतर, पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
- 6/ कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी तहसील, पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,

को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अत्रिभित ।


उपाध्यक्ष/कुलपति

युएनअग्रवाल/

- copy to
- 1) MR
 - 2) ACM.
 - 3) HC
 - 4) PLS return

copy sent to
 - to MR/AM/HC
 21/7/2000

Mr. Gaurav
 R. P. Jha Msc. (M.B.)
 15/09/04



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

//आदेश//

क्रमांक /अका/ सम्बद्धता /2002/

रायपुर दिनांक 2002/

विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 27-8-2004 में लिए गये निर्णयानुसार, निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके सम्मुख दर्शित में सत्र 2004-2005 के लिए अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या
शिलाई मीडिया महाविद्यालय, शिलाई जिला - दुर्ग	एम.एस.सी. भू-माहौला विज्ञान	20

अन्य शर्तें

- 1 स्पेक्ट्रोमीटर एंड इन्फ्रारेड उपकरणों की खरीदी ली जाये।
- 2
- 3
- 4

आदेशानुसार,
 1676
 प्रिंसिपल
 राजपुत्राधिकार (अका)
 रायपुर दिनांक 8/9/2002

पृष्ठांकन क्रमांक 1676 अका/सम्ब /2002/

प्रवृत्तिः-

- 1 आयुक्त उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, छात्रावास क्रमांक 4 शार विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर
- 2 सम्बद्धित महाविद्यालय के प्राचार्य को,
- 3 संचालक महाविद्यालयीन विज्ञान परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
- 4 कुलपति के सचिव, / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
- 5 उपकुलसचिव- शैक्षणिक, सहायक कुलसचिव-परीक्षा, /नामांकन /वित्ताधिकारी / पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
- 6 संचालक शारीरिक शिक्षा, /विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला, /संबद्धित लिपिक, अकादमिक विभाग पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को, सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित।

1676

2 copy to Mrs Z Hasan
for information
3 HC
4 return

copy to MR / Mrs Z Hasan
HC
10-11-23

10/11/23

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

//आदेश//

1989
क्रमांक /अका/ सम्बद्धता /2002

रायपुर दिनांक 6-11-2002

विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 4-10-2002 में सत्र 2004-2005 के लिए गण निर्णयानुसार, निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके सम्मुख दर्शित में सत्र के लिए अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या
भिलाई महिला महाविद्यालय भिलाई-नगर	एम.एस.सी. पूर्व भौतिकशास्त्र	10



अन्य शर्तें

- 1
- 2 वि.वि. परिनिबन्धन क्र. -23 के तहत वर्तमान प्राध्यापकों के अलावा कम से कम दो शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
- 3 प्राध्यापकों में उपक्रम क्रम करने हेतु रु. दो लाख की राशि की व्यवस्था की जाएगी।
- 4 पुस्तकालय में वा.क्रम के अनुसार निर्धारित पुस्तकें तथा संबंधित जनरल हेतु रु.50,000/- की व्यवस्था की जाएगी।

आदेशानुसार,

(Signature)
अका (अका)

1990
पृष्ठांकन क्रमांक अका/सम्ब /2002

रायपुर दिनांक 6/11/2002

प्रतिनिधि:-

- 1 आयुक्त उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, छात्रावास क्रमांक 4 शास. विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर
 - 2 सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य को,
 - 3 संचालक महाविद्यालयीन विकास परिषद, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
 - 4 कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
 - 5 उपकुलसचिव- शोपनीय, सहायक कुलसचिव-परीक्षा, /नामांकन /वित्ताधिकारी / पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
 - 6 संचालक शारीरिक शिक्षा, /विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला, /संबन्धित लिपिक, अकादमिक विभाग पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
- को, सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अत्रोषित।

(Signature)
अका (अका)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

कमांक : 2633 / अका. / स्थायी समिति / 2005

for (1) H. S. Bhatia

(2) H. S. Bhatia
(3) रायपुर, दिनांक 27/10/2005
(4) H. S. Bhatia Chairman
14/11/05

विश्वविद्यालय विद्या परिषद की स्थायी समिति की मंगलवार, दिनांक 25.10.2005 को अपरान्ह 4:00 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त :-

उपरिस्थिति -

- | | | | |
|-----|---|---|----------------|
| 1. | डॉ. लक्ष्मण चतुर्वेदी, कुलपति | - | अध्यक्ष |
| 2. | प्रो. ओ.पी. वर्मा, कुलाधिसचिव | - | विशेष आमंत्रित |
| 3. | प्रो. विभूति राय, संकायाध्यक्ष-जीवविज्ञान एवं गृह विज्ञान | - | सदस्य |
| 4. | प्रो. डी.डी. वर्मा, संकायाध्यक्ष-वाणिज्य संकाय | - | सदस्य |
| 5. | प्रो. शैलेन्द्र सराफ, संकायाध्यक्ष-टेक्नालाजी | - | सदस्य |
| 6. | प्रो. शशिभूषण, संकायाध्यक्ष-विज्ञान संकाय | - | सदस्य |
| 7. | डॉ. आर. पी. दास, संकायाध्यक्ष-प्रबंधन संकाय | - | सदस्य |
| 8. | डॉ. वी.के. मेहता, संकायाध्यक्ष-शिक्षा संकाय | - | सदस्य |
| 9. | डॉ. एस.एल. आदिले, संकायाध्यक्ष-चिकित्सा संकाय | - | सदस्य |
| 10. | श्री के. के. चन्द्राकर, कुलसचिव | - | सचिव |


बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गये :-

विषय क. 1 : निम्नलिखित महाविद्यालयों को निरीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के प्रकरण पर विचार करना -

क.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति की अनुशंसा
1.	तक्षशीला महाविद्यालय (प्रेक्षा शिक्षण सोसायटी), मालवीय नगर, स्टेशन रोड, दुर्ग	1.बी.काम. भाग-एक सभी अनिवार्य विषय 2.बी.सी.ए. भाग-एक	35 25	2005-06	सशर्त अनुशंसित
2.	अपोलो कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, दुर्ग	बी.पी.टी. भाग-चार	60 +	2005-06	परिनियम 28 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की शर्त सहित अनुशंसित
3.	शांति निकेतन महाविद्यालय तात्यापारा चौक, रायपुर	पी.जी.डी.आई.टी.	30	2005-06	अनुशंसित

Regd. Office of
Pt. R. S. S. 1-4
Raipur
on 10/11/05
2.30 P.M.

Re-Exam
file
New courses file
14/11/05



क.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति की अनुशंसा
22	कला महाविद्यालय जी-जामगांव जिला-धमतरी (छ.ग.)	बी.ए.भाग-तीन आ.पा., हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र	50	2005-06	सशर्त अनुशंसित
23	श्री महावीर जैन कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, पुलगांव, दुर्ग (छ.ग.)	1.बी.ए. भाग-दो आ.पा., हिन्दी साहित्य, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल 2.बी.काम. भाग-दो सभी अनि. विषय	60 60	2005-06	सशर्त अनुशंसित
24	शासकीय दिग्विजय महा., राजनांदगांव	1.बी.एस.सी.भाग-दो एवं तीन - बायोटेक्ना., कम्प्यूटर साइंस 2.बी.काम. भाग-दो एवं तीन - कम्प्यूटर एप्ली. अति.विषय	40, 30 30	2004-05 2005-06	सशर्त अनुशंसित
25	भिलाई महिला महाविद्यालय भिलाई	1.बी.एस.सी. भाग-एक इलेक्ट्रानिक्स 2.एम.एस.सी. पूर्व बायोटेक्नालाजी, बायोसाइंस कम्प्यूटर साइंस	30 12 12 15	2005-06	सशर्त अनुशंसित

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि निरीक्षण समिति की अनुशंसानुसार उपरोक्त महाविद्यालयों को अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई ।

अध्यक्ष की अनुमति से यह भी निर्णय लिया गया कि -

- विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन में सत्र 2005-06 से 40 सीट के साथ एम.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुशंसा की गई ।
- श्री रावतपुरा सरकार संस्थान, रायपुर में बी.एस-सी. नर्सिंग - प्रथम वर्ष 50 सीट के साथ प्रारंभ करने की अनुशंसा करते हुए महाविद्यालय को सम्बद्धता अनुमति शुल्क जमा करने तथा निरीक्षण कार्य भी पूर्ण करने हेतु पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया ।

पृ. क्रमांक 26/34 /स्थायी समिति/2005

प्रतिलिपि :-

- विद्या परिषद के स्थायी समिति के समस्त सदस्यों को ।
 - संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद/ छात्र कल्याण,
 - वित्ताधिकारी/ आवासीय अंकेक्षण विभाग,
 - समिति के सचिव/ कुलसचिव के नि. लायक,
- पं. शिवशंकर शुक्ल वि. विद्यालय, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

विशेष कर्तव्य अधिकारी (अका.)

M. Chandra
13/9/97

पंडित रावशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

सूचना

क्रमांक. 1771.../अका./97 रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर, 1997.

विश्वविद्यालय कार्य पारिषद् को दिनांक 27 एवं 29 अगस्त, 97 के निर्णयानुसार निरोक्षण समिति को अनुशंसा पर भिलाई महिला महाविद्यालय, भिलाईनगर §म. प्र. § को नोचे दिये जा रहे अनुसार कक्षाओं / विषयों को शर्तों की पूर्ति के साथ प्रारंभ किए जाने की अनुमति एवं दिनांक 30-6-98 तक अध्यापकों संबद्धता प्रदान की जाती है :-

- § 1 § बी. एस-सो. भाग-दो आधार पाठ्यक्रम, भौतिकी, गणित, § सत्र 1996-97 से § कंप्यूटर साइंस.
- § 2 § एम. एच. एस-सो. पूर्व टेक्स्टाइल एण्ड क्लोथिंग


आदेशानुसार,

कुलसचिव,
रायपुर

पृ. क्रमांक. 1772.../अका./97 रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर, 1997.

प्रतिनिधि :-

- § 1 § प्राचार्य, भिलाई महिला महाविद्यालय, भिलाईनगर, जिला-दुर्ग § म. प्र. §
- § 2 § आंतरिक संचालक, आयुक्त कार्यालय, उच्च शिक्षा, § म. प्र. शासन, § अशासकीय शिक्षाण संस्थाओं से संबंधित शाखा § ई-2/84, महावोरनगर, भोपाल § म. प्र. §
- § 3 § आंतरिक संचालक, उच्च शिक्षा, रायपुर-बस्तर संभाग, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय रायपुर, रायपुर,
- § 4 § संचालक, महाविद्यालयीन विकास पारिषद्, पंडित रावशंकर शुक्ल
- § 5 § कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, विश्वविद्यालय, रायपुर
- § 6 § परीक्षा/गोपनीय/विकास विभाग/प्रतिनिधि



सहायक कुलसचिव § अका. §
रायपुर

//////

//आलोचक//

1/12/20



प० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय-रायपुर [मध्य प्रदेश]

क्रमांक 329 अका/सम्ब0/2000

//आदेश//

रायपुर, दिनांक 8 सित्त 2000

कार्यपरिषद् की सम्पन्न बैठक दिनांक 22 अगस्त, 2000 में किए गए निर्णयानुसार, भिलाई महिला महाविद्यालय, भिलाई की निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लिखित तथ्यों का पालन कर एक माह में प्रतिवेदन देने के निर्देश सर्व प्रमुख द्वारा अपेक्षित शर्तों की पूर्ति किए जाने की शर्त पर नीचे दिए गए कक्षा / विभाग को सत्र 2000-2001 से प्रारंभ करने की अनुमति एवं दिनांक 30-08-2000 तक अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

1/ सत्र कार्य पूर्व ।

कार्यपरिषद् के निर्णयानुसार,
जो. कुलसचिव [मध्य प्रदेश]

क्रमांक 330 अका/सम्ब0/2000

रायपुर, दिनांक 8 सित्त 2000

प्रतिवेदन

- 1/ प्राचार्य, भिलाई महिला महाविद्यालय, भिलाईनगर,
- 2/ आयुक्त, उच्चशिक्षा, मध्य प्रदेश शासन, [अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित शाखा], हिन्दी भवन, इयाम्शा हिल्स, भोपाल,
- 3/ अतिरिक्त संचालक, उच्चशिक्षा, रायपुर-वस्तर संभाग, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर, मध्य प्रदेश
- 4/ उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव- गोपनीय/परीक्षा/विकास/वित्त विभाग, प० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
- 5/ कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, प० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
- 6/ संबंधित लिपिक-अकादमिक विभाग, जो, कि कृपया आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में कार्यवाही की सुचना देने हेतु अनुरोधित ।

जो. कुलसचिव [मध्य प्रदेश]

पं० ए.वि.शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय-रायपुर, 490008


क्रमांक. 1110 / अका/सम्ब0/2001,

// आदेश //

रायपुर, दि०... 2001

विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30 अगस्त, 2001 में लिए गए निर्णयानुसार, निम्नलिखित महाविद्यालय को उसके तत्सम दूरित पाठ्यक्रमों के लिए अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्रसंख्या
भिलाई महिला महाविद्यालय,	1/ बी०ए०सी०-प्रथम-इंडस्ट्रीयल मार्किटिंग	40 सीट ✓
भिलाई नगर	बायलॉजी-अतिरिक्त विषय	
	2/ एम०ए०सी०-अतिरिक्त-कल्पितशास्त्र	
	3/ एम०ए०सी०-अतिरिक्त-प्राणिशास्त्र	
	4/ पी०जी०डी०सी०ए०	30 सीट



- अन्य शर्तें-
- 1/ पाठ्यक्रम कक्षा/विषय के लिए पाठ्यपुस्तकें, प्रायोगिक उपकरण उपलब्ध, आदि की व्यवस्था की जाय।
 - 2/ अध्यापन हेतु विश्वविद्यालय कोड-28 के अनुसार नियुक्ति की जाय।
 - 3/
 - 4/

आदेशानुसार,

(Signature)
कुलसचिव

पृष्ठसंकेत क्रमांक..... / अका/सम्ब0/200 रायपुर, दि०.....
प्रतिलिपि-

- 1/ सचिव, उच्चशिक्षा, उत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, डी०के०ए०भवन, रायपुर,
- 2/ आयुक्त, उच्चशिक्षा, उत्तीसगढ़ शासन / अतिरिक्त संचालक, उच्चशिक्षा, रायपुर-वस्तर सभाग, छात्रावास सं०-4, शासकीय विद्यालय महाविद्यालय, रायपुर,
- 3/ संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को
- 4/ संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा परिषद्, पं० ए० शं० शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
- 5/ कल्पित के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक पं० ए० शं० शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
- 6/ उ०प कुलसचिव- गोपनीय विभाग/सहायक कुलसचिव-परीक्षा/नोमिनेशन/वित्त अधिकारी पं० ए० शं० शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
- 7/ विभागाध्यक्ष-कंप्यूटर विद्यालय अध्यापनशाला पं० ए० शं० शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
- 8/ संचालक, शारीरिक शिक्षा पं० ए० शं० शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
- 9/ संबंधित लिपिक, अनुसंधान विभाग को, कृपया आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में सूचना प्रदान करने हेतु।



संलग्निका - 19 (31)

हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम- दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.) - 491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in वेब साइट : www.durguniversity.ac.in

क्र. 2011/अका./वार्षिक संबद्धता/33/2019

दूरभाष : 0788-2339400

दुर्ग, दिनांक: 24/12/2019

Return!
Copy to Mrs. Meha-L...
Mrs. D. Na...
Mr. Gai...
24/12/2019

||आदेश||


विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.12.2019 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् में अनुमोदन की प्रत्याशा में तदनुसार निम्नलिखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन वार्षिक सम्बद्धता सत्र 2019-20 के लिए प्रदान की जाती है:-

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या
01.	भिलाई महिला महाविद्यालय, हॉस्पिटल सेक्टर, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	Permanent Affiliation B.Sc.- Foundation Course (Hindi, English), Physics, Chemistry, Mathematics, Zoology, Botany, Computer Science B.H.Sc.	450 30
		Non Permanent Affiliation B.Sc.- Electronics (30), Industrial Microbiology (40), Biotechnology (30), Microbiology (30) B.Com.- Including Computer Application B.Ed. BCA M.Sc.- Chemistry M.Sc.- Zoology M.Sc.- Botany M.Sc.- Mathematics M.Sc.- Microbiology M.Sc.- Bioscience M.Sc.- Physics M.Sc.- Computer Science M.Sc.- Biotechnology M.H.Sc.- Child Dev. Text & Cloting M.Com PGDCA	200 100 30 20 20 20 20 20 12 10 15 12 20 40 30

निर्देश :

- छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
- शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को यू.जी.सी./छ.ग.शासन द्वारा स्वीकृत वेतन मान (समस्त भत्तों सहित) देना होगा।
- शासन के आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
- समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
- न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति पाठ्यक्रम आरम्भ करने के साथ ही करनी होगी।
- महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में आवश्यक परिवर्तन करते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता को सुदृढ़ करेंगे।
- तत्काल विषयों से संबंधित पुस्तकें क्रय करेंगे।
- NCTE द्वारा मान्यता प्रदान करने हेतु वर्णित समस्त शर्तों को पूर्ण कर लें एवं तत्संबंधित सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करें अन्यथा की स्थिति में शर्तें पूरी न करने वाले महाविद्यालयों अथवा शर्तें पूर्णता संबंधी प्रमाणों के प्राप्त न होने पर ऐसे महाविद्यालयों के नाम, मान्यता निरस्त करने हेतु NCTE को भेजे जायेंगे।

क्रमशः.....




10. उपरोक्त संबद्धता आदेश में किसी प्रकार के आवश्यक संशोधन यथा विषय/कक्षा/सीट संख्या आदि पर प्रमाण सहित विश्वविद्यालय को 10 दिवस के अंतर्गत अनिवार्यतः अवगत करायें। उक्त शर्तों की पूर्ति करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों/कक्षा की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

कुलसचिव
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक : 20/12/2019

पृ.क्र. 2012/अका./वार्षिक संबद्धता/33/2019
प्रतिलिपि:

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
2. कुलपति के निज सहायक/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
3. गोपनीय/परीक्षा विभाग, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।


सहा. कुलसचिव (अका.)
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)